मुकदमों का विवरण

सतबीर सिंह बनाम.

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2634) 29 अगस्त, 2023

[अहसानउद्दीन अमानुल्लाह और एस**.** वी**.** एन**.** भाटी**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःनीचे दिए गए न्यायालय, यदि अपीलार्थी यू/एस के आवेदन को अस्वीकार करने में न्यायसंगत ठहराया गया है।311, आगे की जांच के लिए मुकदमे में गवाह के रूप में उन्हें वापस बुलाने के लिए सीआरपीसी।

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -s.311-**शक्ति के तहत**-**अभ्यास**-**अपीलार्थी ने शिकायत की कि उसकी कंपनी के आरोपी**-**पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी का डेटा चुराया था और इसका उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया था**,** जिसे उसकी कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था**-**अपीलार्थी का साक्ष्य सी**.** एफ**.** एस**.** एल**.** रिपोर्ट आने से पहले दर्ज किया गया था**-**हालाँकि**,** सी**.** एफ**.** एस**.** एल**.** विशेषज्ञ ने अपनी परीक्षा में अभियुक्त की हार्ड डिस्क **(**ओं**)** पर पाए गए डेटा का वर्णन किया था**,** लेकिन डेटा के दो सेटों की तुलना के बारे में कोई संदर्भ नहीं था**-**अपीलार्थी यू**/**एस**.** के नेतृत्व में आवेदन।**311,** अस्वीकृत**-**वैधानिकताः

आयोजित किया गयाःएस की तरह विवेकाधीन शक्ति।311 न्यायालय को अभिलेख को सीधा रखने और साक्ष्य के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने में सक्षम बनाना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो-इसे तब लागू किया जाना चाहिए जब यह मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक हो-तथ्यों पर, अपीलार्थी यू/एस को वापस बुलाने का अनुरोध।311 न्यायसंगत ठहराया गया था, क्योंकि अपने प्रारंभिक बयान में प्रासंगिक समय पर, उनके लिए न्यायालय के समक्ष डेटा की समानता से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों को लाने का कोई अवसर नहीं था, जो सी. एफ. एस. एल. विशेषज्ञ की जांच के बाद उत्पन्न हुआ था-नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया था-अपीलार्थी का आवेदन यू/एस।311 ताकि उसे वापस बुलाए जाने की गवाह के रूप में आगे जांच की जा सके।

723

[पारस 10-12,14] 724 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

रतनलाल बनाम प्रह्लाद जाट (2017) 9 एससीसी 340:[2017] 8 एससीआर 682; मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य (2019) 6 एससीसी 203:[2019] 6 एससीआर 68; स्वपन

कुमार चटर्जी बनाम केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो, (2019) 14 एस. सी. सी. 328:[2019] 3 एससीआर 713; हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी

1023 – पर भरोसा किया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2023 की आपराधिक अपील संख्या 2634।

2021 के सी. आर. एम. एम. सं. 40058 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.2021 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

गौरव अग्रवाल, साहिल टागोत्रा, सिद्धार्थ पल्ली, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।अनिल कुमार यादव, एडिशनल।एड. जनरल, डॉ. मोनिका गुसैन, मिथलेश कुमार सिंह, बाचा बाबू मिस्त्री, श्रीमती मंजू सिंह, आशुतोष कुमार सिंह, राकेश कुमार यादव, डॉ. सुखदेव शर्मा, एड.प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्यायाधीश अहसनूद्दीन अमानुल्लाह**,** जे**.**

पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।2. छुट्टी दे दी गई।

3. वर्तमान अपील का नेतृत्व चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित सीआरएमएम No.40058/2021 (जिसे इसके बाद "विवादित आदेश" के रूप में संदर्भित किया गया है) में दिनांकित 14.12.2021 के आदेश के खिलाफ किया गया है, जिसके द्वारा आगे की जांच के लिए निचली अदालत के समक्ष मुकदमे में गवाह के रूप में अपीलार्थी को वापस बुलाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है।

4. मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत की कि उन्होंने, उनकी कंपनी के पूर्व कर्मचारी होने के नाते, कंपनी का डेटा चुराया था और ऐसे डेटा का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया था, जिसे अपीलार्थी की कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा था।मुकदमे के दौरान, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ (इसके बाद "सी. एफ. एस. एल". के रूप में संदर्भित) से रिपोर्ट आने से पहले, अपीलार्थी का साक्ष्य दर्ज किया गया था।हालाँकि, जब रिपोर्ट तैयार करने वाले सी. एफ. एस. एल. विशेषज्ञ की अदालत द्वारा 20.08.2021 पर जांच की गई, हालाँकि उन्होंने अभियुक्तों की हार्ड डिस्क (ओं) पर पाए गए आंकड़ों का वर्णन किया, लेकिन इस बारे में कोई संदर्भ नहीं था कि क्या वे अपीलार्थी की कंपनी से कथित रूप से चोरी की गई चीज़ों के संबंध में तुलनीय/समान थे।इस प्रकार, इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी को एक गवाह के रूप में वापस बुलाने के लिए आवेदन करने के लिए विवश किया गया था, जो सी. एफ. एस. एल. विशेषज्ञ के साक्ष्य को दर्ज किए जाने के पांच दिनों के भीतर किया गया था, अर्थात 25.08.2021 पर।निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद, मामला इस अदालत के समक्ष है।5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुकदमे के दौरान उनके लिए डेटा की तुलना के संबंध में कोई सवाल उठाने का कोई पिछला अवसर नहीं था क्योंकि सी. एफ. एस. एल. विशेषज्ञ ने स्पष्ट रूप से यह रुख अपनाया था कि उन्होंने डेटा के दो सेटों की तुलना के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि डेटा के दो सेटों की तुलना शिकायत का मुख्य सार था और इसके बिना, परीक्षण स्वयं एक प्रहसन में बदल जाएगा।

6. उन्होंने आगे कहा कि अदालतों ने शिकायत दर्ज करने की पहली तारीख से इसे गिनने में देरी का हिसाब लगाने में गलती की, हालांकि इस पर कार्रवाई के कारण की तारीख से विचार किया जाना चाहिए था, यानी 20.08.2021 पर, और आवेदन 25.08.2021 पर दर्ज किया गया था।

7. प्रत्यर्थीगणओं के लिए विद्वान अधिवक्ता नं।2 9 ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी केवल विलंबकारी रणनीति में लिप्त है क्योंकि उसके पास दलीलों के दौरान प्रस्तुतियाँ करने का हर अवसर है, जैसा कि वह मानता है, जो अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं।विद्वान अधिवक्ता ने आगे संतोष व्यक्त किया कि अपीलार्थी को वर्तमान स्तर पर पहले दौर में बची हुई खामियों को दूर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए।

9. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 1 (जिसे इसके बाद "सी. आर. पी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है) ने पहले भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।हम

हाल के कुछ पुराने फैसलों का विज्ञापन करेंगे।एक गवाह को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के एक आदेश को पलटते हुए, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, इस अदालत ने रतनलाल बनाम प्रह्लाद जाट, (2017) 9 एस. सी. सी. 340 में कहाः

'17.अदालत को सच्चाई का पता लगाने और न्यायसंगत निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए, धारा 311 के हितकारी प्रावधानों को अधिनियमित किया जाता है, जिसके तहत कोई भी अदालत जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है या पहले से ही जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकती है या फिर से पूछताछ कर सकती है, जिससे विवाद में मामले पर प्रकाश डालने में सक्षम होने की उम्मीद की जाती है। समग्र रूप से प्रावधान का उद्देश्य न केवल अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से बल्कि एक व्यवस्थित समाज के दृष्टिकोण से भी न्याय करना है।इस शक्ति का प्रयोग केवल मजबूत और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका उपयोग सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।वापस बुलाना निश्चित रूप से कोई मामला नहीं है और न्याय की विफलता को रोकने के लिए अदालत को दिए गए विवेकाधिकार का न्यायिक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।इसलिए, इस शक्ति का प्रयोग करने के कारणों को क्रम में लिखा जाना चाहिए।

18. विजय कुमार बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य [विजय कुमार बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 8 एस. सी. सी. 136:(2011) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 371:(2012) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 240], इस न्यायालय ने धारा 311 के दायरे और दायरे की व्याख्या करते हुए कहा हैः(एस. सी. सी. पी. 141, पैरा 17)

"17.यद्यपि धारा 311 न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करती है और व्यापक संभव शब्दों में व्यक्त की जाती है, उक्त धारा के तहत विवेकाधीन शक्ति का उपयोग केवल न्याय के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।विवेकाधीन शक्ति का लगातार प्रयोग किया जाना चाहिए

1 311.भौतिक गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति।—कोई भी न्यायालय

इस संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है, या उपस्थित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है, हालांकि गवाह के रूप में तलब नहीं किया गया है, या पहले से ही जांच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकता है और फिर से पूछताछ कर सकता है; और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और जांच करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से जांच करेगा यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

[अहसनूद्दीन अमानुल्लाह, जे।]

[सी. आर. पी. सी.] के प्रावधान और आपराधिक कानून के सिद्धांत।धारा 311 के तहत प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों के लिए न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से।”

19.ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख (5) बनाम गुजरात राज्य [ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख (5) बनाम। गुजरात राज्य (2006) 3 एस. सी. सी. 374:(2006) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 8], इस न्यायालय ने धारा 311 के तहत अंतर्निहित अवधारणा पर विचार किया हैः(एस. सी. सी. पी. 392, पैरा 27)

“27.संहिता की धारा 311 में अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि मूल्यवान साक्ष्य को अभिलेख पर लाने या दोनों पक्षों से जांचे गए गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने में किसी भी पक्ष की गलती के कारण न्याय की विफलता नहीं हो सकती है।निर्धारक कारक यह है कि क्या यह मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है।यह धारा केवल अभियुक्त के लाभ के लिए ही सीमित नहीं है, और इस धारा के तहत गवाह को केवल इसलिए बुलाना न्यायालय की शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं होगा क्योंकि साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है, न कि अभियुक्त का।यह धारा एक सामान्य धारा है जो संहिता के तहत सभी कार्यवाही, पूछताछ और परीक्षणों पर लागू होती है और मजिस्ट्रेट को ऐसी कार्यवाही, परीक्षण या जांच के किसी भी चरण में किसी भी गवाह को समन जारी करने का अधिकार देती है।धारा 311 में "इस संहिता के तहत किसी भी जांच या मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में" होने वाली अभिव्यक्ति का कोई महत्व नहीं है।हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह धारा गवाहों को बुलाने पर अदालत को बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करती है, लेकिन प्रदत्त विवेकाधिकार का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायिक दिमाग को लागू करने के लिए जितनी अधिक शक्ति उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है।”

20.राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव [राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव, (2016) 2 एस. सी. सी. 402:(2016) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 510], यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः(एस. सी. सी. पीपी. 404 जी-405 ए)

“... निश्चित रूप से, न्यायसंगत निर्णय के लिए यदि आवश्यक हो तो वापस बुलाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ऐसे विचार पर नहीं जैसा कि वर्तमान मामले में अपनाया गया है।केवल यह अवलोकन कि "निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए" वापस बुलाना आवश्यक था, तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह दिखाने के लिए ठोस कारण न हों कि बिना वापस बुलाए निष्पक्ष सुनवाई कैसे हुई।

यह निश्चित रूप से कोई मामला नहीं है और न्यायालय को दिए गए विवेकाधिकार का उपयोग न्याय की विफलता को रोकने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से।जबकि पक्ष को अपनी वास्तविक त्रुटि को सुधारने की भी अनुमति है और वह आगे के अवसर का हकदार हो सकता है, तब भी जब ऐसा अवसर विरोधी पक्ष की ओर से बिना किसी गलती के मांगा जा सकता है, न्याय को आगे बढ़ाने के लिए वापस बुलाने का अनुरोध प्रामाणिक होना चाहिए और गवाहों को अनावश्यक कठिनाई और मुकदमे में अनावश्यक देरी सहित अन्य प्रासंगिक विचारों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित होना चाहिए। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, पहले से ही जांचे गए गवाहों को वापस बुलाने को सही ठहराने का कोई आधार नहीं है।"

21. आवेदन में विलंब महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जिसे आवेदन में समझाया जाना चाहिए।उमर मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य में [उमर मोहम्मद बनाम.राजस्थान राज्य, (2007) 14 एससीसी 711:(2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 244], इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः(एस. सी. सी. पी. 719, पैरा 38)

"38. हालांकि, अलग होने से पहले, हम देख सकते हैं कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क उठाया गया है कि अभि.सा. 1, जिनसे 5-7-1994 पर अदालत में पूछताछ की गई थी, ने कथित तौर पर 1-5-1995 पर एक आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उसमें नामित पांच आरोपी व्यक्ति निर्दोष थे।उनके द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दायर एक आवेदन को विद्वत परीक्षण न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13-5-1995 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।इसके खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी और उच्च न्यायालय ने भी उक्त तर्क को खारिज कर दिया था।यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा सकता था।यह तथ्य कि इस तरह का आवेदन अभि.सा. 1 द्वारा उनके बयान के नौ महीने बाद दायर किया गया था, इस तथ्य का एक संकेत है कि उन्हें जीत लिया गया था।यह तर्क देना बेतुका है कि वह, चार साल की अवधि के बाद और वह भी अपनी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा पूरी होने के बाद, अपनी इच्छा और इच्छा पर एक आवेदन दायर करेगा।अतः उक्त आवेदन को उचित रूप से खारिज कर दिया गया।

सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 730

"' 729

10. मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य, (2019) 6 एस. सी. सी. 203 में, यह न्यायालय

इस बात पर जोर दिया कि धारा 311, सी. आर. पी. सी. जैसी विवेकाधीन शक्ति न्यायालय को रिकॉर्ड को सीधा रखने और साक्ष्य के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने में सक्षम बनाती है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो।एक नोट

स्वपन कुमार चटर्जी बनाम केंद्रीय ब्यूरो ऑफ

अनुसंधान , (2019) 14 एस. सी. सी. 328 निम्नानुसार हैः

‘10.इस धारा का पहला भाग जो अनुज्ञात्मक है, आपराधिक न्यायालय को विशुद्ध रूप से विवेकाधीन अधिकार देता है और संहिता के तहत जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे तीन तरीकों में से किसी एक में कार्य करने में सक्षम बनाता है, अर्थात्, (i) किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाना; या (ii) उपस्थित किसी व्यक्ति से पूछताछ करना, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है; या (iii) पहले से ही जांच किए गए किसी व्यक्ति को वापस बुलाना और फिर से पूछताछ करना।दूसरा भाग, जो अनिवार्य है, न्यायालय पर एक दायित्व अधिरोपित करता है (i) समन भेजने और जाँच करने के लिए या (ii) ऐसे किसी व्यक्ति को वापस बुलाने और फिर से जाँच करने के लिए यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

11.यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग अदालत द्वारा केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए।शक्ति का प्रयोग केवल मजबूत और वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए और इसका उपयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।न्यायालय के पास इस धारा के तहत न्याय के हित में आवश्यक पुनः परीक्षा या आगे की जांच के लिए गवाहों को वापस बुलाने की शक्ति है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा यदि अदालत का विचार है कि आवेदन को कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

12.जहां अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बहुत पहले बंद कर दिया गया है और गवाह से पहले पूछताछ न करने के कारण संतोषजनक नहीं हैं, वहां गवाह को देर से बुलाने से आरोपी के प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा होगा और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।इसी तरह, अदालत को इस प्रावधान के तहत गवाह को वापस बुलाने के लिए लगातार आवेदनों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।’

11. हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1023 में,

इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ की राय थी कि धारा 311, दंड प्रक्रिया संहिता

जब '.....।’

12. मामले पर विचार करने और ऊपर दिए गए कानून का सर्वेक्षण करने के बाद, न्यायालय ने माना कि हस्तक्षेप का मामला बनाया गया है।वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों के तहत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत अपीलार्थी को वापस बुलाने का अनुरोध उचित ठहराया गया था, क्योंकि उसके प्रारंभिक बयान में प्रासंगिक समय पर, उसके लिए न्यायालय के समक्ष आंकड़ों की समानता से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों को लाने का कोई अवसर नहीं था, जो सी. एफ. एस. एल. विशेषज्ञ की जांच के बाद उत्पन्न हुआ था।13. इसके अलावा, हम मानते हैं कि यदि पुनः परीक्षा के लिए अवसर दिया जाता है, तो प्रत्यर्थीगण नहीं।2 9 तक पूर्वाग्रही नहीं होगा क्योंकि उनके पास अपीलार्थी से जिरह करने का पर्याप्त अवसर होगा।हमने देरी की उनकी आशंका को नोट किया है और उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति है।निम्नलिखित न्यायालयों के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत अपीलार्थी के आवेदन की अनुमति है कि उसे गवाह के रूप में वापस बुलाए जाने की आगे जांच की जाए। आज से छह सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख पर भी ऐसा ही किया जाना चाहिए।इस फैसले की प्राप्ति की तारीख से 9 महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त कर दिया जाएगा।लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे